भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1960

31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में मलिन बस्ती पुनर्वास और किफायती आवास

†1960. **श्री पी. सी. मोहनः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक और विशेषकर बेंगलुरु में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) या किसी अन्य केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक के दौरान कितनी मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाएँ शुरू की गई हैं;

(ख) बेंगलुरु में इन योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वासित मलिन बस्ती वासियों की कुल संख्या कितनी है और निर्मित एवं आवंटित आवास इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) कर्नाटक में मलिन बस्ती पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार या बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की ओर से नई मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनके कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कालोनिकरण' राज्य के विषय हैं। आवासन और स्लम पुनर्वास से संबंधित योजनाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र(यूटी) सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, स्लम वासियों सहित देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के

प्रयासों में सहायता करती है। स्लम वासियों सहित पात्र लाभार्थी उपलब्ध चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निरूपण या संवर्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से पीएमएवाई-यू का लाभ उठा सकते हैं।

यह योजना मांग आधारित है और लाभार्थियों द्वारा चयनित विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा देश भर में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 1.12 करोड़ से अधिक आवास जिनमें कर्नाटक में 5.84 लाख आवास शामिल हैं, स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 14.07.2025 तक देश भर में 93.61 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में कोई बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।

योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों में से, पीएमएवाई-यू के एएचपी/बीएलसी/आईएसएसआर घटकों के अंतर्गत लगभग 29 लाख आवास स्लम वासियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1.29 लाख से अधिक आवास कर्नाटक के स्लम वासियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कर्नाटक राज्य और बेंगलुरु जिले में स्लम वासियों के लिए स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों के साथ-साथ स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) और (ङ): पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप देकर अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता देने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन की पद्धति के आधार पर स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं को बीएलसी या एएचपी घटक के तहत कार्यान्वित किया जा सकता है। कर्नाटक राज्य सरकार ने पीएमएवाई-यू 2.0 योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, राज्य ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्लम बस्तियों सहित आवासों को स्वीकृति देने के लिए मंत्रालय को कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

*****

दिनांक 31-07-2025 के लोक सभा आतारांकित प्रश्न संख्या 1960 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कर्नाटक राज्य और बेंगलुरु जिले में स्लम वासियों के लिए स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों के साथ-साथ ही स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	कर्नाटक	बेंगलुरु ज़िला
1	स्वीकृत आवास (सं)	1,29,608	25,310
2	निर्माणाधीन आवास (सं)	1,09,836	20,699
3	पूर्ण किए जा चुके आवास (सं)	94,041	17,801
4	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	2,222.12	439.41
5	जारी की गयी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	1,672.61	330.75
6	उपयोग की गयी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	1,619.99	320.34